रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1085] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940
No. 1085] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1220(अ).—पुनःअधिसूचित प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2995 (अ) तारीख 11 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अक्षांश 26°56'15.08" उत्तर और 26°57'5.81" उत्तर तथा देशांतर 75°48' 55.70" पूर्व और 75°46'54.65" पूर्व के बीच स्थित है। अभयारण्य राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 11(39) राजस्व/8/80, तारीख 22 सितम्बर, 1980 द्वारा अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य राजस्थान के जिला जयपुर की अम्बर पहाड़ियों पर अरावली पर्वतमाला में स्थित है और क्षेत्र 52.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य में 'उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन' और 'उष्णकटिबंधी कंटक वन' हैं। वन अनेक भू-वैज्ञानिक तथा मृदा निर्मितियों और अरावली के पहाड़ी भू-भागों में फैला हुआ है और इसीलिए उसकी संरचना में भिन्नता है;

और, वन्यजीव अभयारण्य में विविध वनस्पतियों के लिए विविध प्राकृतिक वास है और मुख्य वनस्पति सालार (*बोसवेलिया सेराटा*), गुरजन (*लिनेया ग्रेडिस*), तेंदू (*डिसिप्रोस मेलानोक्सिलोन*), करया (*स्टेरिकुलिया यूरेनस*), गुगल (*कोमीफोरा मुकुल*), अमलतास (*कैसिया फिस्टुला*), अवनला (*एम्बेलिका ऑफिसिनैलिस*), बिन्नास (*हेस्पाराथुसा क्रानुलाटा*)

अम (*सेकोपेटेटालम टोमेंटोसा*), गोया खिर (*दिशोर्स्टच्या सिनेरिया*), सैंजा (*मरिंगा पर्टोस्पेरपर्मा*), ढाक (*ब्यूटिया मोनोसपर्मा*), राहन (*सोयिडिमिडा फ़ेब्रिगुगा*), मोखा (*सेरेब्रा स्वेटेनोइड्स*), रोहिनी (*मलाटस फिलिपनेंसिस*), बेर (*ज़िज़फस जुजुबा*), जामुन (*साइज़िगुम क्यूमिनी*), गूलर (*फीकस ग्लोमेरेटा*), कदम (*मित्राग्याना परविफोलिया*), बहिरा (*टर्मिनलिया बेलरिका*), धोरा (*एनोगेइसस लैटिफोलिया*), कहजुर (*फ़ोनिक्स सायनेसट्रीस*), हिंगोट (*बालानिटेस एगेप्टिका*), खैर (अकाकिया कैटेचु), सेवान (*गमेलिया आर्बोरिया*), अर्जुन (*टर्मिनलिया अर्जुन*), नीम (*अज़ादिराक्टा इंडिका*), पीपल (*फ़िकस रेलिगोसा*), बरगद (*फ़िकस बेंघालेंसिस*), शीशम (*डालबर्गिया सिसो*), बिजसाल (*पेरोकार्पस मार्सुपियम*), काकॉन (*फ्लैकोइरिटा इंडिका*), खरिनी (*राइटिया टेंक्टोरिया*), दुधी (*राइटिया टोमेंटोसा*), झिंझाना (*बुहिनिया रेसेमोसा*), केसेरिया (*केसेरिया टोमेनटोसा*), बार्म (*क्रेटेवा रेलेगिओसा*), बेल (*ऐगल मर्मेलोज़*), रोंज (*अकाकिया मर्मेलोज़*), लिसोरा (*कॉर्डिया मायक्सा*), चुरेल (*होलोप्लेतिया इंटरग्रिफ़ोइला*), आम (*मंगरेरा एंडिका*), इमली (*टैमारिंडस इंडिका*), कैथ (*लिमोनिया एसिडिसिमा*), सिरिस (*अलबिज़िया लेबेक*), सेमल (*बोम्बाज सेरिबा*), सेलास्ट्रस (*क्लिस्ट्रस पैनिकुलेट्स*), आदि है;

और, अभयारण्य में विविध प्रकार के जीवों के लिए विविध प्राकृतिक वास है। इस अभयारण्य में अभिलिखित की गई मछली की प्रजातियां कैटल (*कैटला कैटला*), ग्रेयेई (*चन्ना मारुलियस*), लैंची (*वालगो अटू*), महसीर (*टोर टोर*), मिरगल (*सिरहिनस मृगला*), रोहो (*लबेओ रोहिता*), सवानक (*चन्ना पंक्टैटस*), सेन्घारी (*मिस्टस सेन्गला*) आदि हैं। मछलियों के अलावा, आम भारतीय टॉड (*बुफो मेलानोस्टिक्टस*), सामान्य मेंढक (*राणा टाइगरिना*), बैंडेड क्रेट (*बुगोरस फासिक्टस*), कोबरा (*नाज़ा नाज़*), कॉमन क्रेट (*बुंगेरस कायरुलस*), ताज़े पानी का दलदल मगरमच्छ (*क्रोकोडायल पलुसट्रीस*), भारतीय पाइथन (*पायथन मोलुरस*), उत्तर भारतीय फ्लैप शेल्ड कछुआ (*लिसेमीस पाइक्टाटा पंचाटा*), रैट स्नेक (*पाइटास म्यूकोसस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), आदि अभयारण्य में मुख्य जीव शामिल हैं;

और, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 13 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर **0 (शून्य)** से **13 किलोमीटर** तक विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र **79.356 वर्ग किलोमीटर** है। शून्य सघन शहरीकरण के साथ भागों की ओर विस्तृत है।

(2) नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है ।

(3) सीमा के ब्यौरों और अक्षांश तथा देशांतर सहित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवदी जोन और नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और **ख** में दी गई है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ अभयारण्य और प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध - IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दि गई अनुबंधों का अनुपालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) राजस्व;

(vi) कृषि;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग; और

(xii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना, अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्पित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

IndiaCode

(1) **भू-उपयोग.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) वर्षा जल संचयन; और

(vi) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-**आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो, ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटलों और रिसोर्ट का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु नए, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना, आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुपालन में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण होगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ई एस एम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात**.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**.-(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी, और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों से और इसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि खोदना या मकानों और अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण भी है जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएगी ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और में विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन अथवा प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगेः परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
15.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहि:स्राव के जल निकायों में निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे।
24.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वायु और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	कृषि प्रणालियों में कठोर परिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	होटल और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचा।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
32.	फर्मो, कॉरपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशु धन संपदा और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित (उपबन्धित के सिवाय)।
33.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

34.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, जलीय कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकिलाप		
35.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	निम्नीकृत भूमि/वन/ आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	बागवानी और जड़ी-बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
45.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधीसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	**मानीटरी समिति का गठन**	**पद**
1.	जिला कलक्टर, जयपुर	अध्यक्ष, पदेन;
2.	उपखंड अधिकारी, आमेर	सदस्य ;
3.	राजस्थान सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य ;
4.	राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नामित निर्दिष्ट किया जाना है।	सदस्य ;
5.	मानद वन्यजीव वार्डन, जयपुर	सदस्य ;
6.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य ;
7.	मेयर, जयपुर नगर निगम	सदस्य;

8.	प्रधान पंचायत समिति, आमेर	सदस्य;
9.	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
10.	उप वन्यजीव संरक्षक/वन जयपुर	सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन.—(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में समाविष्ट न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध -V में दिए गए निर्दशन पत्र के अनुसार, उक्त वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/60/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं को चित्रांकित करने के लिए, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सभी संरचनाओं, निवास स्थानों, जलनिकायों, औद्योगिक क्षेत्रों, धार्मिक स्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को उपाबंध में दिए गए मानचित्र में चिंहित किया गया है। भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं को 1 से 100 तक के संख्याओं द्वारा मानचित्र मेs अभयारण्य की सीमा पर अंकित किया गया है। इसके बाद उसी मानचित्र पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं को चिह्नित किया गया है और इस सीमा पर भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली भी चिह्नित है और 101 से 336 तक संख्या है। मानचित्र उपाबंध II में उपाबद्ध है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निर्धारित सीमाओं को भू-मंडलीय स्थिति बिन्दुओं द्वारा निम्न प्रकार मानचित्र में दर्शाया गया है-

उत्तरी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन कि सीमाओं पर भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 186 संरक्षित वन के खंड की सीमा पर आमेर-54 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन कि सीमा पर सम्मिलित ग्राम भगवारा, सिंगवाना, छिप्पारदी, जैतुपरा किन्ची, अचरोंल, अनी, लाबाना, गुनावाना, धंध, हरबर से कुकास से भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु संख्या 270 से 13 किलोमीटर होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 186 से 270 तक, संरक्षित वन आमेर-54 के सह-अंतिम स्टेशन होगें और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र, इन भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं के मध्य स्थिर होगा।

पूर्वी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु संख्या 270 से 280 संरक्षित वन खंड सीमा, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 280 से 281, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.8 (अब एनएच-11-सी) के साथ-साथ होगा, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 281 से 295, अभयारण्य सीमा 100 से 500 मीटर होगा। इसी तरह, एनएच 8 (अब 11 सी) की सीमा के साथ-साथ भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 295 से 297 पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होंगे। अभयारण्य सीमा से भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 320 से 325 पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में होंगे जिसमें राजमल का तालाब सम्मिलित है। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 297 से 325 पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 100 मीटर से 2.0 किलोमीटर होगा।

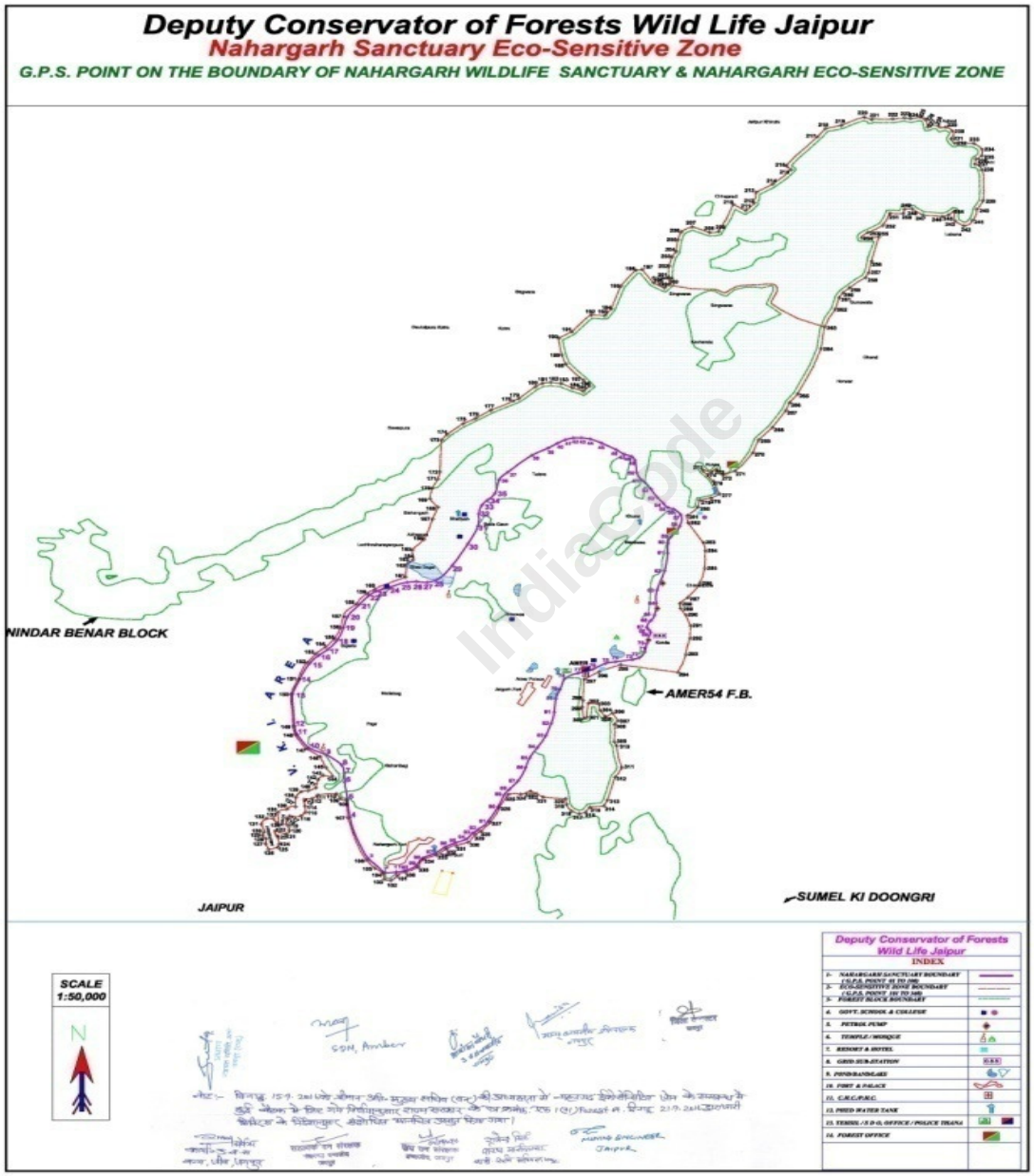
दक्षिणी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 325 से 336 और 101 की अभयारण्य की सीमा के सह अंतिम स्टेशन तक होगा। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 101 से 104 संरक्षित वन खंड आमेर-54 की सीमा के सह-अंतिम स्टेशन होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 104 से 108 तक अभयारण्य की सीमा सह- अंतिम स्टेशन होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 108 से 147, अमीनाशाह नाला की प्राकृतिक सीमा (दोनों किनारों के बेड क्षेत्र के साथ-साथ बहेंगे) के साथ-साथ होंगे।

पश्चिमी सीमा : अभयारण्य की सीमा से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु सं. 147 से 160 सह- अंतिम स्टेशन होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 160 से 186 तक 50 मीटर से 2 किलोमीटर होगा जिसमें भाव सागर, अखेपुरा, बढ़ागाँव, भाटिया, बीसनगढ़ क्षेत्र सम्मिलित है।

IndiaCode

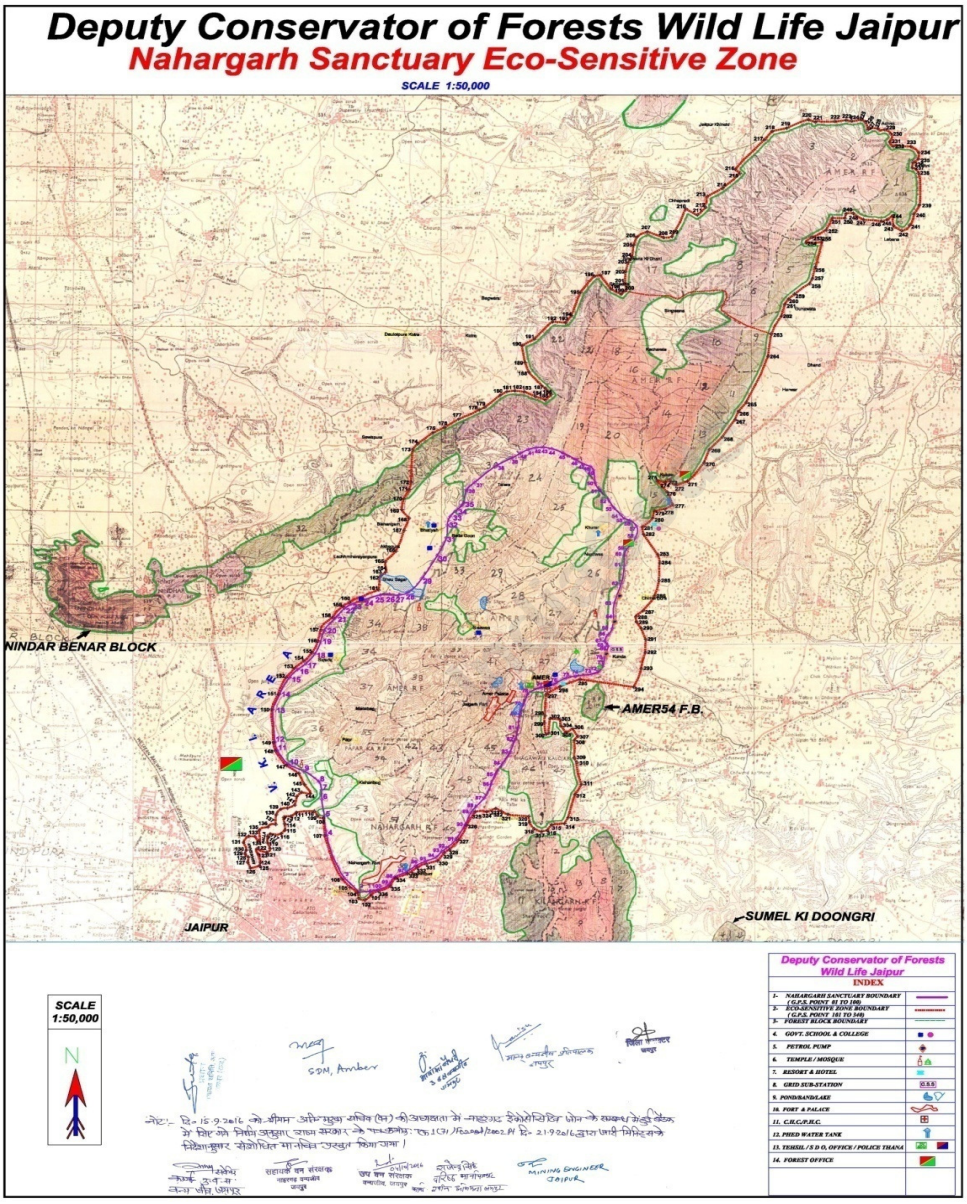
उपाबंध-।।क

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-।।ख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थिति के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू01	75°47'22.26"पू	26°58'15.90"उ
2	पू 02	75°48'0.42"पू	26°59'52.80"उ
3	पू 03	75°49'17.10"पू	27° 0'44.70"उ
4	पू 04	75°50'26.10"पू	27° 2'27.36"उ
5	पू 05	75°52'27.78"पू	27° 2'42.42"उ
6	पू 06	75°53'9.90"पू	27° 1'46.92"उ
7	पू 07	75°52'28.38"पू	26°59'29.76"उ
8	पू 08	75°51'22.56"पू	26°59'9.90"उ
9	पू 09	75°50'30.78"पू	26°57'21.54"उ
10	पू 10	75°48'40.80"पू	26°56'2.40"उ
11	पू 11	75°48'7.62"पू	26°57'13.68"उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थिति के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू 01	75°49'5.16"पू	27° 1'16.50"उ
2	पू 02	75°49'42.06"पू	27° 3'12.42"उ
3	पू 03	75°51'3.42"पू	27° 3'58.98"उ
4	पू 04	75°51'18.48"पू	27° 4'43.20"उ
5	पू 05	75°52'32.70"पू	27° 5'50.52"उ
6	पू 06	75°53'56.40"पू	27° 6'51.30"उ
7	पू 07	75°54'47.52"पू	27° 3'33.66"उ
8	पू 08	75°56'44.58"पू	27° 8'17.22"उ
9	पू 09	75°57'37.56"पू	27° 6'40.56"उ
10	पू 10	75°56'5.70"पू	27° 6'19.50"उ
11	पू 11	75°55'20.28"पू	27° 4'55.74"उ
12	पू 12	75°54'1.20"पू	27° 2'34.56"उ
13	पू 13	75°53'7.32"पू	26°59'18.30"उ
14	पू 14	75°52'14.04"पू	26°57'45.00"उ
15	पू 15	75°51'5.28"पू	26°57'14.58"उ
16	पू 16	75°48'46.32"पू	26°55'54.78"उ
17	पू 17	75°46'54.48"पू	26°56'23.04"उ

IndiaCode

18	पू 18	75°47'49.80"पू	26°57'34.14"उ
19	पू 19	75°47'32.52"पू	26°59'29.76"उ

उपाबंध- IV

भू-निर्देशांकों सहित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	**अभयारण्य में ग्राम**	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	नाहरगढ़	26°56'15.08"उ	75°48'55.70" पू
2	आमेर	26°59'8.19" उ	75°51'4.82" पू
3	चिमनपुरा	27° 1'23.51" उ	75°54'4.74" पू
4	कुकास	27° 1'50.37" उ	75°53'24.08" पू
5	नेतीवास	27° 1'39.28" उ	75°52'25.41" पू
6	खुर्द	27° 2'4.37" उ	75°53'7.23"पू
7	तेलादा	27° 2'41.57" उ	75°52'25.42"पू
8	बेडेगांव झरखेया	27° 2'14.47" उ	75°51'22.67"पू
9	सिसियावास	27° 0'37.93" उ	75°50'51.32"पू
10	अकेदा	27° 0'25.41" उ	75°48'45.67"पू
11	जेसला	26°59'36.43" उ	75°49'17.09"पू
12	पेपाद	26°58'4.10" उ	75°47'41.57"पू
13	किशनबाग	26°57'5.81" उ	75°46'54.65"पू
क्र. सं.	**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम**	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	कुकास	27° 1'50.37" उ	75°53'24.08"पू
2	हरवार	27° 3'58.08" उ	75°56'25.90"पू
3	धन्द	27° 4'44.03" उ	75°56'20.66"पू
4	गुनावाता	27° 5'34.61" उ	75°56'57.21"पू
5	लाबाना	27° 6'38.16" उ	75°57'45.56"पू
6	अनी	27° 7'5.48" उ	75°59'7.83"पू
7	अचोराल	27° 8'8.37" उ	75°58'20.78"पू
8	जैतपुरा किनची	27° 7'58.38" उ	75°55'2.24"पू
9	छिप्परारी	27° 6'44.47" उ	75°54'51.62"पू
10	सिंहाना	28° 5'52.77" उ	75°50'0.01"पू
11	चोकालयावास उर्फ केचरेवाला	27° 4'30.74" उ	75°55'2.22"पू
12	भगवाडा	27° 5'28.14" उ	75°50'51.42"पू
13	दौलतपुरा	27° 4'46.15" उ	75°49'53.80"पू

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दाखिल की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O.1220(E).—WHEREAS, a draft notification was re-notified and published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2995 (E), dated the 11th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Nahargarh Wildlife Sanctuary is lying between latitudes 26°56'15.08''N & 26°57'5.81''N and longitudes 75°48'55.70''E & 75°46'54.65''E. The Sanctuary was notified *vide* Government of Rajasthan notification No. F11 (39) Revenue/8/80 of dated the 22nd September, 1980. The sanctuary is situated in the Aravalli ranges at Amber hills, Jaipur district of Rajasthan and is spread over an area of 52.40 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has ''Tropical Dry Deciduous Forest'' and "Tropical Thorn Forest" as per classification of Champion and Seth. The forest is spread over the area on various geological and soil formations over the hilly terrain of Aravallis and hence varies in composition;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a variety of habitats for diversified flora and major flora of this sanctuary includes salar (*Boswellia serrata*), gurjan (*Linnaea gradis*), tendu (*Dispyros melanoxylon*), karaya (*Sterculia urens*), gugal (*Commiphora mukul*), amaltas (*Cassia fistula*), awanla (*Embellica officinalis*), binnas (*Hesparathusa cranulata*), um (*Seccopetalum tomentosa*), goya khir (*Dishrostachya cineria*), sainja (*Maringa pterygosperma*), dhak (*Butea monosperma*), rahan (*Soydmida febriguga*), mokha (*Scherebra swetenoides*), rohini (*Mallatus*

philipnensis), ber (*Zizphus jujuba*), jamun (*Syzyguim cumini*), gular (*Ficus glomerata*), kadam (*Mitragyna parvifolia*), bahira (*Terminalia bellerica*), dhaora (*Anogeissus latifolia*), kahjur (*Phoenix syvestris*), hingot (*Balanites aegyptica*), khair (*Acacia catechu*), sevan (*Gmelia arborea*), arjun (*Terminalia arjuna*), neem (*Azadirachta indica*), peepal (*Ficus religiosa*), bargad (*Ficus benghalensis*), shiham (*Dalbergia sissoo*), bijasal (*Pterocarpus marsupium*), kakon (*Flacourita indica*), kharini (*Wrightia tinctoria*), dudhi (*Wrightia tomentosa*), jhinjha (*Bauhinia recemosa*), casaeria (*Casaeria tomentosa*), barn (*Createaeva relegiosa*), bel (*Aegle marmelose*), ronj (*Acacia marmelose*), lisora (*Cordia myxa*), churel (*Holoptelia intergrifoila*), aam (*Mangifera andica*), imli (*Tamarindus indica*), kaith (*Limonia acidissima*), siris (*Albizzia lebbek*), semal (*Bombaz ceriba*), celastrus (*Cleastrus paniculates*), etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary has variety of habitats for diversified fauna. Fish species recorded from of this Sanctuary includes catal (*Catla catla*), greyei (*Channa marulius*), lanchi (*Walago attu*), mahseer (*Tor tor*), mirgal (*Cirrhinus mrigala*), roho (*Labeo rohita*), savank (*Channa punctatus*), seenghari (*Mystus seenghala*). Apart from fishes, the common Indian toad (*Bufo melanostictus*), common frog (*Rana tigerina*), banded krait (*Bugorus fasciatus*), cobra (*Naja naja*), common krait (*Bungarus caeruleus*), fresh water swamp crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian python (*Python molurus*), north Indian flap shelled turtle (*Lissemys punctata punctata*), rat snake (*Ptyas mucosus*), leopard (*Panthera pardus*), etc. the main fauna of the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0 (zero) to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary, in Jaipur district of Rajasthan as Eco-Sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.–** (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of **0 (zero)** to **13 kilometers** around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is **79.356 square kilometres**. Zero extent is towards the sides with heavy urbanization.

 (2) The boundary description of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Nahargarh Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA,** and **Annexure-IIB.**

 (4) List of geo-coordinates of the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III.**

 (5) The lists of village falling in the Sanctuary and proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points are appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Revenue,
(vi) Agriculture,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal,
(x) Panchayati Raj,
(xi) Public Works Department, and
(xii) Rajasthan State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;

(v) rainwater harvesting; and

(vi) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under.-

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972, (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
11.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.

		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Small scale non-polluting industries.	Non- polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Bio-Medical Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
32.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
33.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
C. Promoted Activities		
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
40.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
45.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the

Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jaipur	Chairman, ex officio;
2.	Sub Divisional Officer, Amer	Member;
3.	A representative of non-governmental organisation or working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years	Member;
4.	One expert in Ecology and Environment from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years.	Member;
5.	Honorary wildlife warden, Jaipur	Member;
6.	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board	Member;
7.	Mayor, Jaipur Municipal Corporation	Member;
8.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	Member;
9.	Member of the State Biodiversity Board	Member;
10.	Deputy Conservator of Forest/Wildlife, Jaipur	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/60/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

In order to delineate boundaries of Eco-Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary all field structures, habitations, water bodies, Industrial areas, religious places and other public institutes as provided by the revenue authorities have been marked on the map annexed with this notification. Geographical Positioning System (GPS) have been marked on the Sanctuary boundaries, which are numbered from 1 to 100 on the map. Then the boundaries of Eco-Sensitive Zone have also been marked on the same map and its Geographical Positioning System points have also marked on the boundary and numbered as 101 to 336.This map is annexed as Annexure-II. The boundary of Eco-Sensitive Zone is decided as indicated by the Geographical Positioning System points shown on this map as under:

Northern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position point number 186 marked on reserve forest block boundary Amer-54 and Eco-Sensitive Zone boundary including villages Bagwara, Singwana. Chhapradi, Jaitpura Khinchi, Achrol, Ani, Labana, Gunawata, Dhandh, Harbar to Kukas to Global Position System point number 270 will be up to 13 kilometers. Eco Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 186 to 270 is co-terminus with the boundary of reserve forest block Amer-54 and will include the whole reserve forest in the Eco-Sensitive Zone within these Global Position System points.

Eastern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position System point number 270 to 280 will be Reserve forest block boundary, from Global Position System point number 280 to 281 will be along National Highway No. 8(Now NH-11-C), from Global Position System point number 281 to 295 will be 100 meters to 500 meters from sanctuary boundary. Similarly, the boundary along NH 8(Now 11 C) from Global Position System point 295 to 297 will be Eco Sensitive Zone. Reserve forest block boundary from GPS point number 297 to 320 will be Eco-Sensitive Zone limit. Sanctuary boundary from Global Position System point number 320 to 325 will be Eco Sensitive Zone limit including Rajamal ka talab. The extent of Eco Sensitive Zone from Global Position System point number 297 to 325 will be from 100 meters to 2.0 kilometers.

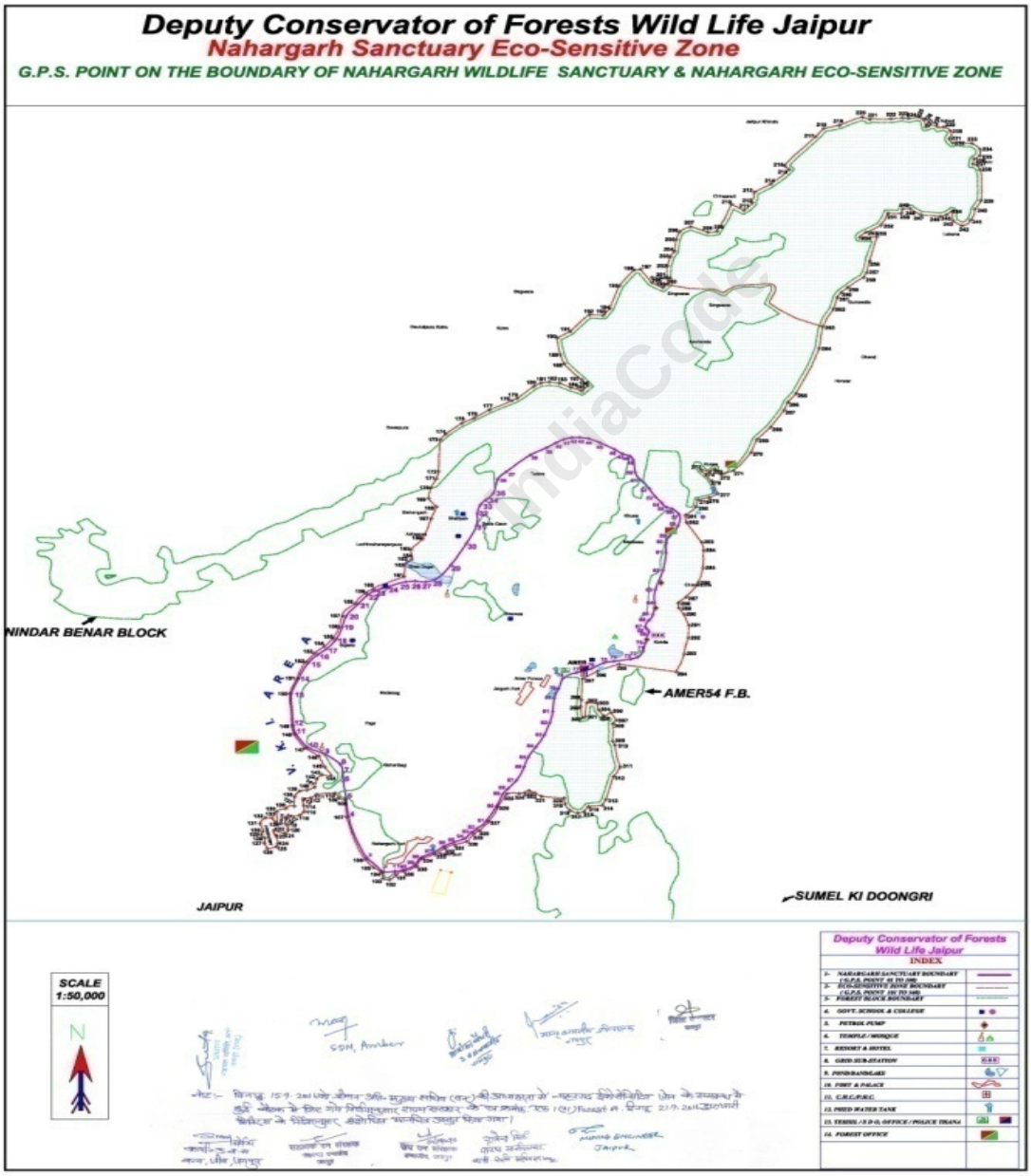
Southern boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 325 to 336 and up to 101 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 101 to 104 it will be co-terminus with the boundary of reserve forest Block Amer -54. From GPS point number 104 to 108 it will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 108 to 147 it will run along the natural boundary (flow as well as bed area up to both banks) of Amanishah Nallah.

Western boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 147 to 160 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point

number 160 to 186 it will be 50 meters to 2 kilometers including Bahav sagar, Akhepura, Badagaov, Bhatiya, Bishangarh Areas.

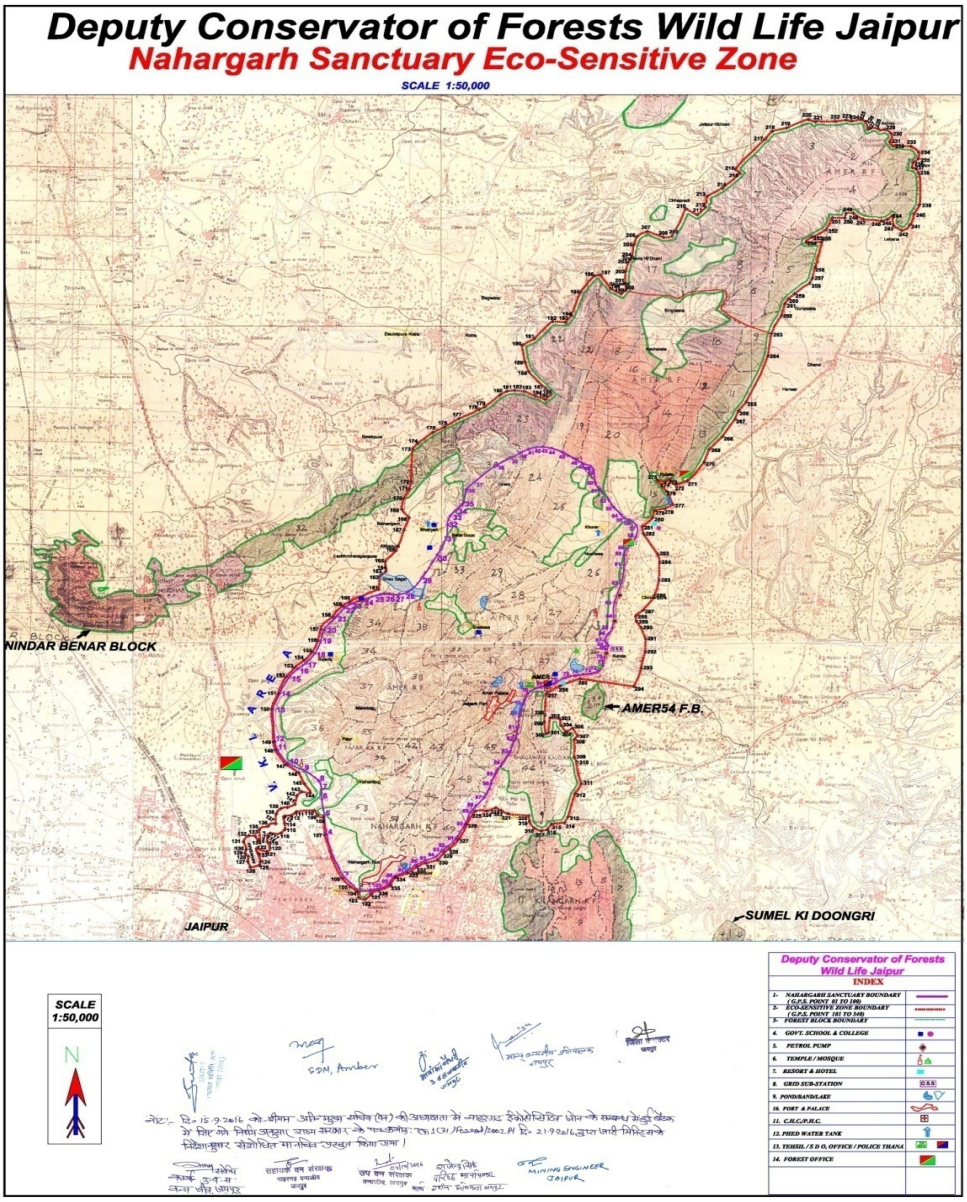
ANNEXURE-IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°47'22.26"E	26°58'15.90"N
2	E02	75°48'0.42"E	26°59'52.80"N
3	E03	75°49'17.10"E	27° 0'44.70"N
4	E04	75°50'26.10"E	27° 2'27.36"N
5	E05	75°52'27.78"E	27° 2'42.42"N
6	E06	75°53'9.90"E	27° 1'46.92"N
7	E07	75°52'28.38"E	26°59'29.76"N
8	E08	75°51'22.56"E	26°59'9.90"N
9	E09	75°50'30.78"E	26°57'21.54"N
10	E10	75°48'40.80"E	26°56'2.40"N
11	E11	75°48'7.62"E	26°57'13.68"N

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°49'5.16"E	27° 1'16.50"N
2	E02	75°49'42.06"E	27° 3'12.42"N
3	E03	75°51'3.42"E	27° 3'58.98"N
4	E04	75°51'18.48"E	27° 4'43.20"N
5	E05	75°52'32.70"E	27° 5'50.52"N
6	E06	75°53'56.40"E	27° 6'51.30"N
7	E07	75°54'47.52"E	27° 3'33.66"N
8	E08	75°56'44.58"E	27° 8'17.22"N
9	E09	75°57'37.56"E	27° 6'40.56"N
10	E10	75°56'5.70"E	27° 6'19.50"N
11	E11	75°55'20.28"E	27° 4'55.74"N
12	E12	75°54'1.20"E	27° 2'34.56"N
13	E13	75°53'7.32"E	26°59'18.30"N
14	E14	75°52'14.04"E	26°57'45.00"N
15	E15	75°51'5.28"E	26°57'14.58"N
16	E16	75°48'46.32"E	26°55'54.78"N
17	E17	75°46'54.48"E	26°56'23.04"N

18	E18	75°47'49.80"E	26°57'34.14"N
19	E19	75°47'32.52"E	26°59'29.76"N

ANNEXURE-IV

LISTS OF VILLAGES COMING UNDER NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Villages in the Sanctuary	Latitude	Longitude
1	Nahargarh	26°56'15.08"N	75°48'55.70"E
2	Amer	26°59'8.19"N	75°51'4.82"E
3	Chimanpura	27° 1'23.51"N	75°54'4.74"E
4	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
5	Nestiwas	27° 1'39.28"N	75°52'25.41"E
6	Khurad	27° 2'4.37"N	75°53'7.23"E
7	Taleda	27° 2'41.57"N	75°52'25.42"E
8	Badagaon Jarkhya	27° 2'14.47"N	75°51'22.67"E
9	Sisiyawas	27° 0'37.93"N	75°50'51.32"E
10	Akeda	27° 0'25.41"N	75°48'45.67"E
11	Jaisalya	26°59'36.43"N	75°49'17.09"E
12	Papad	26°58'4.10"N	75°47'41.57"E
13	Kishanbag	26°57'5.81"N	75°46'54.65"E
Sl. No.	**Villages in Eco-sensitive Zone**	**Latitude**	**Longitude**
1	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
2	Harwar	27° 3'58.08"N	75°56'25.90"E
3	Dhand	27° 4'44.03"N	75°56'20.66"E
4	Gunawata	27° 5'34.61"N	75°56'57.21"E
5	Labana	27° 6'38.16"N	75°57'45.56"E
6	Ani	27° 7'5.48"N	75°59'7.83"E
7	Achoral	27° 8'8.37"N	75°58'20.78"E
8	Jaitpura Khinchi	27° 7'58.38"N	75°55'2.24"E
9	Chhapreri	27° 6'44.47"N	75°54'51.62"E
10	Singhwana	28° 5'52.77"N	75°50'0.01"E
11	Chokhalyawas urf Kacherawala	27° 4'30.74"N	75°55'2.22"E
12	Bagwada	27° 5'28.14"N	75°50'51.42"E
13	Daulatpura	27° 4'46.15"N	75°49'53.80"E

India Code

ANNEXURE–V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.09 16:48:52 +05'30'